This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार, 19 नवम्बर, 2024 / 28 कार्तिक, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

AGRICULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002 the 11th November, 2024

No. Agr.-B-F(1)-4/2023.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute the **Inter-Departmental Coordination Committee, State Core Team, District Core Team, Block**

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 16 नवम्बर, 2024

संख्याः एल.एल.आर.–डी.(6)–29/2024–लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 28) को दिनांक 13–11–2024 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2024 के अधिनियम संख्यांक 7 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

शरद कुमार लगवाल,
सचिव (विधि)।

2024 का अधिनियम संख्यांक 7

हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन अधिनियम, 2024

धाराओं का क्रम

धाराः

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 3–अ और 3–आ का अंतःस्थापन।

2024 का अधिनियम संख्यांक 7

हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन अधिनियम, 2024

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 13 नवम्बर, 2024 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम।**

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम.**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन अधिनियम, 2024 है।

2. **धारा 3–अ और 3–आ का अंतःस्थापन.**—हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 2009 की धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"**3–अ. दुग्ध उपकर का उदग्रहण और संग्रहण.**–(1) ऊर्जा के उपभोग पर 0.10 रुपए प्रति यूनिट की दर से दुग्ध उपकर उद्‌गृहीत और संगृहीत किया जाएगाः

परन्तु शून्य बिल वाले उपभोक्ताओं से कोई दुग्ध उपकर उद्‌गृहीत और संगृहीत नहीं किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, दुग्ध उपकरों की दरों को, किसी समय में, उप–धारा (1) में विनिर्दिष्ट दरों के पचास प्रतिशत से अधिक पुनरीक्षित नहीं कर सकेगी।

(3) संगृहीत की गई उपकर की रकम का उपयोग राज्य में दुग्ध के उत्पादन और उपापन को बढ़ावा देने और दुग्ध उत्पादकों के उत्थान के लिए किया जाएगा।

3–आ. पर्यावरण उपकर का उद्‌ग्रहण और संग्रहण.–(1) ऊर्जा के उपभोग पर पर्यावरण उपकर निम्नलिखित रीति में उद्‌गृहीत और संगृहीत किया जाएगा, अर्थात्:–

उपभोक्ताओं की श्रेणी	**उपकर की दर**
लघु औद्योगिक ऊर्जा	रु. 0.02 प्रति यूनिट
मध्यम औद्योगिक ऊर्जा	रु. 0.04 प्रति यूनिट
बड़े औद्योगिक ऊर्जा	रु. 0.10 प्रति यूनिट
वाणिज्यिक	रु. 0.10 प्रति यूनिट
अस्थाई कनेक्शन	रु. 2.00 प्रति यूनिट
स्टोन क्रशर	रु. 2.00 प्रति यूनिट
विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन	रु. 6.00 प्रति यूनिटः

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उपभोक्ताओं के प्रवर्गों को सम्मिलित, अपवर्जित, श्रेणीकृत या उप–श्रेणीकृत कर सकेगी और उनके सम्बन्ध में उपकर दरों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, पर्यावरण उपकरों की दरों को, किसी एक समय में, प्रचास प्रतिशत से अधिक पुनरीक्षित नहीं कर सकेगी।

(3) संगृहीत की गई रकम का उपयोग,–

(क) नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने; और

(ख) राज्य में पर्यावरण के संरक्षण करने;

के लिए किया जाएगा ।"।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 7 of 2024.

THE HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY (DUTY) AMENDMENT Act, 2024

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title.
2. Insertion of sections 3-A and 3-B.

Act No. 7 of 2024.

THE HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY (DUTY) AMENDMENT Act, 2024

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 13th NOVEMBER, 2024

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Electricity (Duty) Act, 2009 (Act No. 13 of 2009).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth year of the Republic of India as follow:—

1. **Short title.**—This Act may be called the Himachal Pradesh Electricity (Duty) Amendment Act, 2024.

2. **Insertion of sections 3-A and 3-B.**—After section 3 of the Himachal Pradesh Electricity (Duty) Act, 2009, the following sections shall be inserted, namely:—

> "**3-A. Levy and collection of Milk Cess.**—(1) There shall be levied and collected Milk Cess on consumption of energy at the rate of Rupees 0.10 per unit:
>
> Provided that no Milk Cess shall be levied and collected from the zero bill consumers.
>
> (2) The State Government may, by notification revise the rates of Milk Cess not exceeding 50% at a time, of the rates specified in sub-section (1).

(3) The amount of cess collected shall be utilised to promote the production and procurement of milk and upliftment of the milk producers in the State.

3-B. Levy and collection of Environment Cess.—(1) There shall be levied and collected Environment Cess on consumption of energy, in the following manner, namely:—

Category of Consumers	**Rate of Cess**
Small Industrial Power	Rs. 0.02 per Unit
Medium Industrial Power	Rs. 0.04 per Unit
Large Industrial Power	Rs. 0.10 per Unit
Commercial	Rs. 0.10 per Unit
Temporary Connections	Rs. 2.00 per Unit
Stone Crusher	Rs. 2.00 per Unit
Electrical Vehicle Charging Station	Rs. 6.00 per Unit:

Provided that the State Government may, by notification include, exclude, categorise or sub-categorise the categories of consumers and specify the rates of cess in respect thereto.

(2) The State Government may, by notification revise the rates of Environment Cess not exceeding 50% at a time.

(3) The amount of cess collected shall be utilised to,—

(a) promote the generation of electricity through renewable energy; and

(b) protect environment in the State.".